



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

पत्रांक

1768 / 1950

दिनांक 25/09/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:-

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर- बालीघाट-धरमघर पुल से
गुरुगुच्चा प्रा0पा0 स्कूल तक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में
FP/UK/ROAD/12710/2015

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS Dated
10.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन
संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियों लगायी गयी हैं
उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियों	आख्या
बिन्दु सं0- 1	Vide point No.1 of EDS dt. 14/07/2016, hard copy of the proposal was asked for submission, which is still not provided. State Govt. may provide hard copy of the proposal folder containing all original or attested copies of the documents. However, the FRA certificate and the geo-referenced digital maps of proposed road and CA should be in original.	Original Hard copy of the document is submitted with Nodal office dehradun, reciving for the same is uploaded(reciving copy attached)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

सुतसारखण्डे शान्तिन

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (0)

दिनांक 13/09/2019

नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग,
उत्तराखण्ड इन्दिरा नगर देहरादून

बालीघाट धरमघर मोटर मार्ग के खन्तोली पुल से गुरगुच्चा प्राइमरी पाठशाला तक मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं० 12710/2015)

भारत सरकार का EDS दिनांक 10.01.2018

उपरोक्त विषयक EDS दिनांक 10.01.2018 के
ग्रैम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
अतः सूचनार्थ प्रेषित।

✓अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, एफओआरआई,

उत्तराखण्ड देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

विषय: जनपद बागेश्वर में बालीघाट-धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरुगुच्चा प्राथमिक पाठशाला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.63 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरानगर, देहरादून, उत्तराखण्ड, द्वारा ऑन लाइन आईडीओसो-FP/UK/ROAD/12710/2015 के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत (सबिड) किया जा चुका है, की हार्ड प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)

अपर सचिव।

संख्या: 976 (1)/X-4-15/1(495)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून, को उनके पत्र संख्या-979/1जी-FP/UK/ROAD/12710/2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।

आज्ञा से,

(आरओके० तोमर)

संयुक्त सचिव।